दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 17-07-2025

# हाई कोर्ट की रोक, फिर भी तान दी एक और मंजिल, काम जारी

## कमिश्नर के पास फाइल पेंडिंग होने का बहना

सिटीरिपोर्टर | बिलासपुर

दो स्वतंत्र मकान बनाने की मंजूरी लेकर नियम विरुद्ध फ्लैट के निर्माण पर हाई कोर्ट की रोक के बावजूद पॉश इलाके में अभी भी काम जारी है। टैगोर चौक के पास बिना अनुमति चल रहे निर्माण पर नगर निगम के जिम्मेदार इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन निर्माण पर लगी रोक के आदेश का पालन नहीं कराया जा रहा। इस मामले में विनय सलूजा और रीना सलूजा संभाग कमिश्नर के पास अपील पेंडिंग होने की बात कह रहे हैं। इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संभाग कमिश्नर के कार्यालय से इतने दिनों में मामले का निराकरण क्यों नहीं हो सका। मामले में निगम के तत्कालीन भवन शाखा अधिकारियों के अलावा संभाग कमिश्नर कार्यालय के संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका कठघरे में है। बता दें कि वीआईपी कॉलोनी के रहवासियों ने मामले की शिकायत की थी। इसके बाद निगम के जिम्मेदार नोटिस-नोटिस खेलते रहे। सलूजा ने मामले में हाई कोर्ट की शरण ली, तब कोर्ट ने यह स्पष्ट आदेश दिया था कि निगम कोई कार्रवाई नहीं करेगा। साथ ही, सलूजा द्वारा भी कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, जबकि आज भी निर्माण जारी है।

### पंचनामा में लिखा- चौकीदार ने परिसर के भीतर जाने नहीं दिया

नगर निगम की ओर से जब बिना अनुमति निर्माण जांच के लिए सब इंजीनियर को मौके पर भेजा गया था, तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें महिला चौकीदार ने परिसर के भीतर जाने से रोक दिया। सामने का फोटो लेने से भी विवाद किया जा रहा है। हालांकि पंचनामा रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दोनों भवनों को जोड़कर भूतल पार्किंग, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल और पंचम तल निर्माणाधीन है, जो कि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध है।

### अपील पर संभागायुक्त को 25 दिन में लेना था फैसला

अवैध निर्माण की नियमितीकरण की मांग करते हुए सलूजा ने निगम में आवेदन दिया था, लेकिन इसे जिला नियमितीकरण समिति ने 10 सितंबर 2024 को निरस्त कर दिया था। इस पर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील की गई। यह 30 सितंबर 2024 से लंबित है। वहीं, सलूजा की याचिका पर हाई कोर्ट ने 17 जनवरी 2025 को दिए गए फैसले में संभागायुक्त को नियमितीकरण के आवेदन पर 25 दिनों के भीतर निर्णय लेने कहा था।